



भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना छः अनुभाग

तीसरी मंजिल, सेवा भवन,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66

दिनांक 5 जून, 2023

कार्यालय आदेश

श्री कुलदीप कुमार पूर्व कनिष्ठ अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य में दो वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर लिया है और उन्होंने पुनः ग्रहणाधिकार अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। इस संदर्भ में श्री कुलदीप कुमार के वर्तमान विभाग को भी पत्र भेजे गए। परन्तु वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला है।

अतः केन्द्रीय जल आयोग में दिनांक 28.12.2020 से 27.12.2022 तक दो साल की ग्रहणाधिकार अवधि पूर्ण होने पर श्री कुलदीप कुमार की ग्रहणाधिकार (lien) 28.12.2022 से समाप्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


05/06/2023
(सीमा जुनेजा)

अवर सचिव

011-29583534

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियंता (सम.), यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नयी दिल्ली।
3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. श्री कुलदीप कुमार, पूर्व कनिष्ठ अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ।
5. केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर।